

पत्रावली लोक अदालत के माध्यम से पेश हुई।

पक्षकारानु-

नहीं होने के कारण प्रकरण को अदालत नहीं हो सका। अब पत्रावली दिनांक को न्यायालय हाजा में पेश हो

उपर्युक्त अधिकारी

काठमा (अलवर)

(Signature)
बकुलाच कुरीकेन उप.प.ओ.
साहब ... 20.1.18
पत्रावली दिनांक 20.1.18
को पेश हो।

29.1.18
बकुलाच कुरीकेन उप.प.ओ.
साहब ... 31/1/18
पत्रावली दिनांक 31/1/18
को पेश हो।

(Signature)
जारी 9 उनके वकील उपस्थित
नहीं। मूल लोक भी वादी की अदालत
टाकरी। पक्ष के खाली के गलत
के. 10 पत्र 212 RFA खाली किम
जोता है पत्रावली फलत मुम्मा
हीका मूल वाद के लक्षण रहे।
(Signature) *(Signature)*
S. D. O.